"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 294] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 नवम्बर 2011—कार्तिक 13, शक 1933

गृह विभाग

(सी–अनुभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2011

आदेश

क्रमांक एफ-4-36/दो/गृह-सी/2010.—यत: राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है, कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई आवश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाए;

अतएव छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्र. 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किये जाने का, तारीख 04 नवम्बर, 2011 से प्रतिषेध करती है.

अनुसूची

शालेय शिक्षा से संबद्ध सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता तथा सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय), शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय). (जिन्हें पूर्व में क्रमश: शिक्षाकर्मी वर्ग 3, वर्ग 2 एवं वर्ग 1 से संबोधित किया जाता था).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ-4-36/दो/गृह-सी/2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-36/दो/गृह-सी/2010, दिनांक 04 नवंबर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

Raipur, the 4th November 2011

ORDER

No. F-4-36/Two/Home-C/2010.—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the schedule below;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Chhattisgarh Atyavashayak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the schedule with immediate effect.

SCHEDULE

Assistant Teacher, Teacher, Lecturer related to School Education and Assistant Teacher (Panchyat/Urban bodies), Teacher (Panchayat/Urban bodies), Lecturer (Panchayat/Urban bodies) (who were earlier known as Siksha Karmi Grade-3, Grade-2 and Grade-1 respectively).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. N. UPADHYAY, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.